बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा

1967 में स्थापित 'बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय' आगरा का सर्वश्रेष्ठ महिला महाविद्यालय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा बी ग्रेड प्राप्त इस महाविद्यालय की गणना सम्पूर्ण प्रदेश के शीर्षस्थ महाविद्यालयों में की जाती है। शिक्षण स्तर, अनुशासन एवं पाठ्यक्रमोतर गतिविधियों के आधार पर प्रदेश के शिक्षा जगत में महाविद्यालय का एक विशिष्ट स्थान है। संस्था का प्रमुख लक्ष्य प्रभावी, जीवनोपयोगी एवं सामयिक शिक्षा प्रदान कर महिलाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और उनमें समाज एवं राष्ट्र के प्रति दायित्व-बोध जाग्रत करना है। बौद्धिक उत्कृष्टता, नैतिक उन्नयन, स्वस्थ सौन्दर्य-चेतना तथा प्रासंगिक कार्यानुभव के माध्यम से समाज की उत्पादकता में वृद्धि महाविद्यालय के विविधपक्षीय लक्ष्य बिन्दु हैं।

महाविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के निर्माण के लिये संकल्पबद्ध है जिनमें राष्ट्र के प्रति, आम आदमी के प्रति तथा दलित वर्ग के प्रति वचनबद्धता हो, जो शिक्षा को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ मानवीय गरिमा, मानवाधिकारों की स्थापना और संरक्षण का एक शक्तिशाली माध्यम मानें, जिससे विषमताविहीन समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके। महाविद्यालय इन मूल्यों और प्रवृत्तियों का समावेश अपने विद्यार्थियों में करना चाहता है और इसके लिये निरन्तर प्रयासरत है।

बिजलीघर बस-स्टैण्ड के समीप ग्वालियर मार्ग एवं औलिया मार्ग के सन्धि-स्थल पर स्थित महाविद्यालय नगर के सभी मुख्य मार्गों से नगर-बस सेवा द्वारा सम्बद्ध है।

महाविद्यालय में कला, ललितकला, विज्ञान संकाय, शिक्षा संकाय एवं वाणिज्य संकाय के 19 पाठ्य-विषयों में स्नातक स्तर पर तथा 9 पाठ्य-विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था है। स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी.कॉम., एम.ए. गृहविज्ञान व अर्थशास्त्र तथा बी.बी.ए. की कक्षायें संचालित हैं। खेलकूद एवं अनेक शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों की दिशा में भी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। परिसर में ही बाहर की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्मित है तथा स्टेट बैंक के विस्तार पटल की सुविधा भी उपलब्ध है।

स्नातक प्रथम वर्ष में उपलब्ध सीटें

पाठ्यक्रम	सीटें
बी.ए.	640
बी.कॉम.	160
बी.एससी.	90
बी.बी.ए.	60

अधिक जानकारी के लिए www.bdkmvagra.co.in पर लॉग इन करें।

अध्ययन-विषय

सम्प्रति महाविद्यालय के कला, विज्ञान, शिक्षा एवं वाणिज्य संकाय में उपलब्ध पाठ्य-विषय इस प्रकार हैं -

नोट: 1. तीन अनिवार्य विषय एवं पर्यावरण शिक्षा एवं राष्ट्रीय गौरव को स्नातक स्तर के तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

2. विश्वविद्यालयके उपकुलपति द्वारा तृतीय वर्ष में भी तीन विषयों के चयन हेतु स्वीकृति दे दी गई है।

बी.ए. (त्रिवर्षीय) :

(I) वैकल्पिक विषय :

छात्राओं को निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना है-

1. सामान्य अंग्रेजी
2. अंग्रेजी साहित्य
3. हिन्दी साहित्य
4. सामान्य संस्कृत
5. संस्कृत
6. उर्दू
7. मनोविज्ञान (प्रयोगात्मक)
8. अर्थशास्त्र
9. इतिहास
10. राजनीतिशास्त्र
11. समाजशास्त्र
12. शिक्षाशास्त्र (प्रयोगात्मक)
13. चित्रकला (प्रयोगात्मक)
14. संगीत गायन (प्रयोगात्मक)
15. संगीत वादन-तबला (प्रयोगात्मक)
16. संगीत वादन-सितार (प्रयोगात्मक)
17. गृह विज्ञान (प्रयोगात्मक)
18. शारीरिक शिक्षा (प्रयोगात्मक)
19. हिन्दी भाषा

नोट : 1. अधिकतम दो प्रयोगात्मक विषयों का चयन किया जा सकता है।

2. दो से अधिक साहित्य का चयन नहीं किया जा सकता।

3. कोई भी प्रयोगात्मक विषय तभी अनुमन्य होगा जब वह इण्टरमीडिएट कक्षाओं में पढ़ा गया हो, किन्तु छात्रा के प्राप्तांक 60% होने पर नया प्रयोगात्मक विषय लेने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

4. सैद्धान्तिक विषयों में 55% प्राप्तांक होने पर नया विषय दिया जा सकेगा।

5. चयनित विषय अत्यन्त सावधानी से भरें। चयनित विषयों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपनी मर्जी से कोई छात्रा प्रवेश लेने के बाद विषय बदलती है तो समस्त उत्तरदायित्व छात्रा का होगा।

बी.एस.सी. (त्रिवर्षीय) :

1. मुख्य विषय :

1. रसायन विज्ञान
2. जन्तु विज्ञान
3. वनस्पति विज्ञान

बी.कॉम. (त्रिवर्षीय) (स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत) :

बी.एड. (द्विवर्षीय):

बी.बी.ए. : (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत)

एम. ए. विषय :

1. अंग्रेजी
2. हिन्दी
3. संस्कृत
4. मनोविज्ञान
5. चित्रकला
6. संगीत गायन
7. गृहविज्ञान (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत)
8. अर्थशास्त्र (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत)

एम.एड. :

शोधकार्य :

महाविद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, शिक्षा, कला एवं संगीत में शोध कार्य कराया जा रहा है। प्रवेशार्थी को शोध के समय सभी स्तरों पर उच्च शैक्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त महाविद्यालय में छात्रा/महिला अभ्यर्थी को ही उक्त हेतु प्रवेश दिया जाता है। शोधार्थी छात्रा को प्रवेश के समय शोध विषय की रूपरेखा की एक प्रति जमा कराना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर अनुमोदन-पत्र की एक प्रति भी महाविद्यालय में जमा करानी होगी।

नोटः- कोरोना महामारी के कारण उक्त निर्देशों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रत्येक अभ्यर्थी को सूच्य है कि वह प्रवेश लेने की अवधि में अपने पास कोई एक मोबाइल जिसका नं0 Workng condition में अर्थात् वर्तमान में चालू हो तथा जिस पर छात्रा की अपनी email ID पर संदेश या OTP भेजे जाने पर छात्रा को तुरन्त संदेश मिल जाए, अपने स्वयं के पास हर समय उपलब्ध होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। सभी अभ्यर्थी छात्राओं से अपेक्षित है कि अपने से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं बहुत सावधानी से सही-सही ही भरना सूनिश्चित करें। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन से पूर्व ही मोबाइल आरोग्य सेतु एप डाउन लोड परम आवश्यक है

DR. BHIMRAO AMBEEDKAR UNIVERSITY, AGRA

(Formerly: Agra University, Agra)

B Accredited by NAAC

ADMISSIONS 2020-21

Instructions and Guidelines for Admission

Online applications are invited for admission to Under-Gruduate coures being run in the Residential Wing/Affiliated Colleges of the University. Eligivility criteria for admission shall be specified on the University Website www.dbrau.org.in

1. Information of the admission procedure is displayed on the University website www.dbrau.org.in. Candidates are advised to check the University website regularly for updates.
2. Candidates may not that any discrepancy regarding fee or eligibility not provide any other alike due to printing or any other kind of error shall not provide any right to the candidates for admission to any particular course. The candidate shall be required to pay the actual fee applicable for the course at the time of admission.
3. The applicant is required to ensure that he/she has checked the eligibility criteria of the course concerned and correctly filled up the application form. Admission shall be cancelled if the candidate is not found to be eligible.
4. Reservation Rules for the admission shall be applicable as per U.P. Government Rules (A relaxation up to 5% marks shall be given to the candidates belonging to SC/ST and Divyang Categories).
5. The University reserves the right not to conduct any self-financing courses in residential wing/affiliated colleges if sufficient number of applications/students are not avaible. In such cases the fee of the applicant shall be refunded.
6. After being admitted to any course, if a candidate fails to submit his/her eligibility certificate within the stipulated time his/her admission will be liable to be cancelled and the candidate shall solely be responsible for cancellation and fee shall not be refunded.
7. Any fee structure may be changed at any time as per the guildelines ot norms of the Hon'bl Court/Government/University without any

prior information or notice to the candidate and deposition of the same fee shall be binding upon the candidate.

8. Minority Institution will take admission as per the prevailing rules of the U.P. Government/University.
9. The fee of the candidate once deposited shall not be refunded. However any candidate requiring the refund of fee should apply for cancellation of admission within a period of 10 days from the date of his/her admission which must be certified by the Director/ HOD/Principal of the college and in such case only 75% fee shall be refunded if he/she has not attended a class on a single day.
10. Changed made, if any, in the admission rules/fee structure of any course shall be applicable to candidate seeking admission even after registration. No separate intimation letters will be sent.
11. **Check University Admission Committee minutes for rules and regulations,** weightage marks etc. The Rules for admission as prescribed by the Admission Committee of the University for the session 2020-21 shall strictly be followed for weightage marks etc.
12. Application forms shall be rejected in case :-
    (a) It has been received after last date; and
    (b) It has been received with invalid or incomplete documents.
    No correspondence shall be entertained in this regard.

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

NAAC द्वारा B मान्यता प्राप्त

प्रवेश 2020-21

प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

शैक्षिक सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय के आवासीय/ विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश निम्न हैं-

1. प्रवेश प्रक्रिया की सभी सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.org.in पर 21 जुलाई 2020 से उपलब्ध होगी। छात्र/छात्राओं को यह परामर्श है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूचनाऐं जानने के लिये उसे नियमित चैक करते रहें।
2. आवेदक ध्यान रखें कि शुल्क अथवा पात्रता मापदंड एवं प्रिंटिंग या अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ आवेदनकर्ता को किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकार को सुनिश्चित नहीं करेगी। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को पाठ्यक्रम का वास्तविक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
3. आवदेनकर्ता के लिये यह अति आवश्यक है कि जिस पाठ्यक्रम में वह प्रवेश लेने का इच्छुक है उसके पात्रता मापदंड को अच्छी तरह से जाँच करके ही सही आवेदन पत्र भरें। अपात्र होने की दशा में आवेदक का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. प्रवेश के लिए आरक्षण नियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के नियमों के अनुरूप लागू होंगे।
5. आवासीय संस्थानों/सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त संख्या में आवेदन न आने पर उक्त पाठ्यक्रम को संचालित न करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। ऐसी दशा में आवेदनकर्ता द्वारा जमा करा गया शुल्क वापस कर दिया जायेगा।
6. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त अगर अभ्यर्थी पात्रता सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों को निश्चित अवधि में जमा करने में सफल नहीं होता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में सारा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी पर ही होगा और उसका शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
7. माननीय न्यायालय/सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दिशा-निदेश अथवा शुल्क परिवर्तन सम्बन्धी दिशा-निर्देश का अक्षरक्षः पालन किया जायेगा। शुल्क अथवा अन्य दिशा-निर्देश बिना किसी पूर्व सूचना के अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होंगे।
8. अल्पसंख्यक संस्थान उ0प्र0 सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित नियमों के अन्तर्गत

ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

9. अभ्यर्थी द्वारा एक बार जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं होगा। अगर कोई अभ्यर्थी प्रवेश उपरान्त शुल्क वापसी चाहता है तो प्रवेश के दस दिनों के भीतर उसे प्रवेश निरस्त का आवेदन करना अनिवार्य है जिसका सत्यापन सम्बन्धित निदेशक/विभागाध्ययक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य से कराना होगा। इस दशा में अगर अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रमों में एक भी दिन उपस्थित नहीं रहा है तो उसके शुल्क का 75 प्रतिशत शुल्क लौटा दिया जायेगा।

10. अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण के पश्चात भी अगर किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी नियम/शुल्क संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो वह अभ्यर्थी पर लागू होगा। इस दशा में पृथम रूप से कोई भी सूचना पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

11. विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा सत्र 2020-21 द्वारा बनाये गये नियमों एवं Hkkjkad (Weightage Marks) आदि का अक्षरक्षः पालन किया जायेगा। भारांक सम्बन्धी नियम वेबसाइट पर 21 जुलाई, 2020 से उपलब्ध होंगे।

12. आवेदन पत्रों को निम्न स्थिति में निरस्त किया जायेगा यदि:

(1) वह प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद जमा हुआ हो।

(2) वह अमान्य अथवा अपूर्ण प्रमाण-पत्रों के साथ किया गया हो।

इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

सत्र 2020-2021 द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल-एल.बी. प्रथम वर्ष एवम् एल-एल.एम. प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

बी0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी(कृषि)एम0एस0सी(गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान), एल0एल0एम0, एल0एल0बी0, बी0ए0 एवं बी0पी0एड0 के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जायेंगे, जिसकी नियमावली पृथक् रूप से प्रसारित की जायेगी।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "प्रोस्पेक्ट्स" तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।

   (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2020-2021 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) यथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अन्तर्गत ही) आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

   (स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का मूल्य रु. 250/- नकद आगामी सत्र 2020-2021।

   (द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। महाविद्यालय

को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

2. (अ) सत्र 2020-21 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के "त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम" तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष "चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम" में ही प्रवेश दिये जायेंगे।

(ब) महाविद्यालयों में एल.एल.एम. "प्रथम वर्ष" में प्रवेश परीक्षा के आधार पर किये जायेंगे। एल.एल.एम. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 05 प्रतिशत अंक की छूट होगी। इसी तरह एल.एल.बी./बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के छात्र/छात्राओं को 45 प्रतिशत, आरक्षित पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को 40 प्रतिशत अंकों पर प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

3. (अ) महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/ तृतीय/ चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।

(स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेशार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाये।

4. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

(ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी अर्हता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल पर प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थियों को स्नातक के उपरान्त प्रवेश के लिये अधिकतम (03) तीन वर्ष के अन्तराल को प्राचार्य की संस्तुति के उपरान्त कुलपति द्वारा अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अंतराल के नियम का पालन कड़ाई से लागू किया जाय।

टिप्पणी :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों पर अन्तराल (GAP) का नियम लागू नहीं होगा।

2. दो वर्ष के अन्तराल (GAP) के छात्रों का ऑन लाईन डाटा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुये प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाईन फार्म भरवाते वक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।

3. नियमानुसार एल.एल.बी. 6 वर्ष, बी.ए.एल.एल.बी. 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 7 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 6 वर्ष परास्नाक अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल.एल.एम. कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

(य) कला, वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हों, विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

"यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा ना हो।"

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे :—

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall, however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other direction as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down

by the University and shall report all such cases to the admission commitee forthwith."

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

(1) यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

(2) यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिये विचाराधीन हो।

5. **(अ) स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:**

1. बी.एस.सी. (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बी.एस.सी. (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
3. बी.एस.सी. (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।
4. बी.ए./ बी.कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।
5. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level Along with revised scheme of studies)

संलग्नक-1

(ब) कृषि / विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.एस.सी.(कृषि)/बी.एस.सी. परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ.प्र. बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/ मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

(स) स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:-

(i) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थाई रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवम् उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों के आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा **उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल एवं अलीगढ़ मण्डल** की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल तथा डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के

इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा तथा स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल तथा डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालय से उत्तीर्ण की हो, किन्तु एम.एस.सी. (कृषि) के प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा यू.पी. आगरा / अलीगढ़ मण्डल के इण्टर कॉलेजों से उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

(ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी.आई. 35/ सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) भाग-2 तथा भाग-3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग-1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट वीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृति हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

I. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

II. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य-चक्रामानुसार।

III. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोटः कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश 'प्रोवीजनल' भी नहीं देगा।

vi. समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vii. समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :

6. **(क) स्नातक कक्षायें :**

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत, अंकों / ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट :

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हॉयर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हॉयर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए लिये जायेंगे।
2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम0ए0 के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विश्वविद्यालय की बी0ए0 की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी रहित) उत्तीर्ण कर ली हो।

   (ख)सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम0ए0 पूर्वार्द्ध परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं।

   (ग) एम0कॉम पूर्वार्द्ध परीक्षा के लिए अर्हता केवल बी0कॉम त्रिवर्षीय परीक्षा है।

   (घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्ही विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हो।

नोट:-

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :

1. क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-

   (क) प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक

(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये – 8 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये – 7 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये – 6 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये – 3 अंक

2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने :–
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये – 5 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक

3. एन.सी.सी. "सी" सर्टिफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट/जी-1 प्रमाण-पत्र धारक केडिटों को 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

4. एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। 5 अंक

5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।
(क) प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक

नोट : उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें :

1. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री (अविवाहित) 10 अंक
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल(पुलिस/पी.एस.सी.) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी :
1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट : किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। **इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।**

7. (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को उन्हीं विषयों में प्रवेश दिया जायेगा, जिन विषयों का अध्ययन स्नातक अन्तिम वर्ष की कक्षा में किया हो।

(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(स) सामान्यत: स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का **अधिकार कुलपति को होगा**, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में

प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्माक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। **उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।**

(द) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

8. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना होगा अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचना पट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गए नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

9. प्रत्येक छात्र को वेब रजिस्ट्रेशन नम्बर (Web registration Number) लेना होगा। प्रवेश के समय समस्त अभ्यर्थियों को आधार कार्ड नम्बर के आधर पर W.R.N. (Web Registration Number) दिया जायेगा।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझे जायें।

10. सेना/पैरा मिलिट्री फोर्स/सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी सेवाओं में सेवारत कर्मचारियों के पालकों को उन स्थानान्तरण होने पर अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरण की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई।

प्रवेश-नियम

1. प्रवेश आवेदन-पत्र का पंजीकरण शुल्क ऑन लाइन 252/- रुपये जमा करना होगा जो कि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
2. विवरणिका में दिये गये विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली के अनुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। सभी अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करके अपलोड करें तथा सत्यापन हेतु निश्चित दी गई तिथि पर महाविद्यालय में उपस्थित हों।
3. गत संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र भी प्रवेश के समय ही जमा कराया जाना अनिवार्य है।
4. अन्य विश्वविद्यालय से आने वाली छात्राओं को प्रवास प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। तभी उनका प्रवेश स्थायी माना जायेगा।
5. **चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु सूचना भेजी जायेगी। तथा वेबसाईट पर अपलोड होगी। अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट चैक करती रहे अन्यथा की स्थिति समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।**
6. उपर्युक्त समस्त नियमों के अतिरिक्त डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की प्रवेश-नियमावली में उल्लिखित नियम सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु लागू होंगे।
7. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश क्रमानुसार एक क्रम संख्या प्रदान की जायेगी जो उसकी शुल्क रसीद पर अंकित रहेगी। इसी के आधार पर उसे अपने वर्ग व समय सारिणी आदि की सूचना मिलेगी। अत: इसे याद रखना एवं सन्दर्भित करना आवश्यक है।
8. **प्रत्येक संकाय के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना होगा। एक संकाय के लिए भरा गया आवेदन पत्र दूसरे संकाय में स्थानान्तरित नहीं होगा।**

नोट : 1. अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रवेश सम्बन्धी समस्त विवरण कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जायेगा।
3. **आवेदन-पत्र जमा हो जाने के बाद कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

प्रवेश के समय देय शुल्क
कला एवं विज्ञान संकायों के लिए 12 मास का शुल्क

क्र. सं.	मद	स्नातक कक्षायें रुपये	स्नातकोत्तर कक्षायें रुपये
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
2.	पंजीकरण शुल्क	2.00	2.00
3.	पुस्तकालय एवं रीडिंग रूम शुल्क	30.00	38.00
4.	मँहगाई शुल्क	42.00	42.00
5.	विकास शुल्क	30.00	30.00
6.	क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00
7.	परिचय-पत्र शुल्क	8.00	8.00
8.	पंखा शुल्क	12.00	12.00
9.	ग्रीष्म-शीत शुल्क	24.00	24.00
10.	छात्र सहायता शुल्क	12.00	12.00
11.	पत्रिका शुल्क	15.00	15.00
12.	छात्र कल्याण शुल्क	12.00	12.00
13.	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
14.	वार्षिकोत्सव व दीक्षांत समारोह शुल्क	6.00	6.00
15.	कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क	30.00	30.00
16.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	50.00	50.00
17.	बिजली शुल्क	150.00	150.00
	योग	**638.00**	**646.00**

कला एवं विज्ञान संकायों के लिये विशेष शुल्क

क्र. सं.	मद	स्नातक कक्षायें रुपये	स्नातकोत्तर कक्षायें रुपये
1.	पुस्तकालय प्रासंगिक शुल्क	20.00	20.00
2.	प्रासंगिक शुल्क (प्रयोगात्मक) प्रति विषय	25.00 कला 35.00 विज्ञान	50.00 50.00
3.	प्रयोगात्मक विषय-शुल्क		
	(अ) शारीरिक शिक्षा	240.00	-
	(ब) मनोविज्ञान	240.00	240.00
	(स) संगीत गायन	240.00	240.00
	(द) संगीत वादन	240.00	-
	(य) कला	240.00	240.00
	(र) गृह विज्ञान	240.00	-
	(ल) विज्ञान	720.00	-
4.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	300.00	300.00
5.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (अ) वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा नही होती है। (ब) वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है।	 1500.00 1700.00	 2000.00 2200.00
6.	पुनः प्रवेश शुल्क	2.00	2.00
7.	स्थानान्तरण शुल्क	2.00	2.00
8.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50.00	50.00

शिक्षा संकाय के लिये 12 मास का शुल्क

क्र.	मद	बी.एड. कक्षायें(रू.)	एम.एड. कक्षायें(रू.)
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
2.	पंजीकरण शुल्क	2.00	2.00
3.	पुस्तकालय शुल्क	30.00	38.00
4.	मँहगाई शुल्क	42.00	42.00
5.	विकास शुल्क	30.00	30.00
6.	क्रीड़ा शुल्क	200.00	200.00
7.	परिचय-पत्र शुल्क	8.00	8.00
8.	पंखा शुल्क	12.00	12.00
9.	ग्रीष्म-शीत शुल्क	24.00	24.00
10.	छात्र सहायता शुल्क	12.00	12.00
11.	पत्रिका शुल्क	15.00	15.00
12.	छात्र कल्याण शुल्क	18.00	18.00
13.	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
14.	वार्षिकोत्सव व दीक्षांत समारोह शुल्क	6.00	6.00
15.	गर्ल्स गाइडिंग	30.00	-
16.	बिजली शुल्क	150.00	150.00
17.	कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क	30.00	30.00
18.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	50.00	50.00
	योग	**674.00**	**652.00**

शिक्षा संकाय के लिये विशेष शुल्क

क्र. सं.	मद	बी.एड. कक्षायें रुपये	एम.एड. कक्षायें रुपये
1.	पुस्तकालय प्रासंगिक शुल्क	20.00	20.00
2.	*प्रयोगात्मक शुल्क	600.00	1000.00
3.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	4000.00	4000.00
4.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	300.00	300.00
5.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50.00	50.00
	शोध शुल्क	1200.00 रुपये वार्षिक	
	***NCTE - 1995**		

प्रवेश के समय देय शुल्क का पूर्ण योग

कक्षा	प्रयोगात्मक विषय रहित	एक प्रयोगात्मक विषय सहित	दो प्रयोगात्मक विषय सहित
बी.ए. प्रथम वर्ष	2456.00	2921.00	3186.00
बी.ए. द्वितीय वर्ष	2408.00	2873.00	3138.00
बी.ए. तृतीय वर्ष	2408.00	2873.00	3138.00
बी.ए.सी. प्रथम वर्ष	3481.00		
बी.ए.सी. द्वितीय वर्ष	3433.00		
बी.ए.सी. तृतीय वर्ष	3433.00		
एम.ए. पूर्वार्द्ध हिन्दी/ अंग्रेजी/ संस्कृत	2916.00		
एम.ए. पूर्वार्द्ध/ उत्तरार्द्ध मनोविज्ञान/ ड्राइंग/ संगीत गायन	3406.00		
एम.ए. उत्तरार्द्ध हिन्दी/ अंग्रेजी / संस्कृत	3116.00		
बी.एड.	5768.00		
एम.एड. एक वर्ष	8722.00		

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत

(अ) बी.कॉम. संकाय के लिये 12 मास का शुल्क

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
वि. वि. अंशदान	500	—	—
नामांकन शुल्क	300	—	—
वि.वि. परीक्षा शुल्क	1070	1070	1070
शुल्क	8130	8000	8000
कुल योग	10000	9070	9070

(ब) एम. ए. अर्थशास्त्र

एम.ए. अर्थशास्त्र	वि.वि. अंशदान	वि.वि. परीक्षा शुल्क	शुल्क	कुलयोग
पूर्वार्द्ध	500	1570	9000	11070
उत्तरार्द्ध	-	1770	9000	10770

(स) गृह विज्ञान पूर्वार्द्ध/ उत्तरार्द्ध 12500/- प्रतिवर्ष

(द) बी.बी.ए. 15690/- प्रथम सेमिस्टर, अन्य सेमिस्टर 15000/- प्रति सेमिस्टर

एक्स-स्टूडैण्ट्स

स्नातक स्तर पर एक्स स्टूडैण्ट्स को प्रति प्रयोगात्मक विषय के लिये निर्धारित शुल्क ही देय होगा।

उपस्थिति

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय में न्यूनतम उपस्थिति 75% निर्धारित है। छात्राओं को अपनी सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना है। इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता स्वत: समाप्त हो जायेगी।
2. दैनिक प्रार्थना-सभा, छात्रा हित में आयोजित विभिन्न पाठ्येत्तर कार्यक्रमों, आंतरिक परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पर्वों पर छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

अनुशासन

महाविद्यालय में उच्चस्तरीय अनुशासन व्यवस्था व पारस्परिक सद्भाव का वातावरण बनाये रखने के लिये अनुशासन समिति गठित है। अनुशासन सम्बन्धी कुछ आवश्यक नियम इस प्रकार हैं–

1. महाविद्यालय की सभी छात्राओं को प्रतिदिन यूनिफार्म में आना अनिवार्य है। यूनिफार्म के लिये सिलेटी रंग का कुर्ता (बॉम्बे डाईंग का शेड नं.96) सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा निर्धारित है। कुर्ते के लिये बॉम्बे डाईंग का शेड नं. 96 ही खरीदें, जिससे यूनिफार्म में एकरूपता बनी रहे। सर्दी में काले रंग का स्वैटर यूनिफॉर्म हेतु निर्धारित है।
2. छात्रायें महाविद्यालय प्रांगण तथा महाविद्यालय के बाहर व्यवहार सुशील व अनुशासित रखें।
3. प्राचार्य की अनुमति के बिना सूचना-पट्ट, महाविद्यालय के मुख्य द्वार व दीवारों पर कोई भी सूचना, विज्ञापन अथवा समाचार-पत्र के उद्धरण लगाना निषिद्ध है।
4. महाविद्यालय आने पर कोई भी छात्रा निर्धारित समय-सारिणी के मध्य बिना लिखित अनुमति के बाहर नहीं जायेगी।
5. जो छात्रायें कालेज में अनुशासनहीनता करती हुई पायी जायेंगी, उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी सत्र में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करती पाई जाने वाली छात्राओं को भी आगामी सत्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परिसर में **मोबाइल फोन बन्द रहेगा**। महाविद्यालय में मोबाइल चलाने वाली छात्रा को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

परिचय पत्र

प्रत्येक छात्रा को प्रति वर्ष एक सत्र के लिये परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है। **परिचय-पत्र छात्रा को सदैव अपने पास रखना है। उन सभी स्थानों पर जहाँ-जहाँ छात्रा उपस्थित होने का अधिकार रखती है, विशेषत: व्याख्यानकक्ष, पुस्तकालय व परीक्षा-भवन में परिचय-पत्र निरीक्षण हेतु उनके पास उपलब्ध होना चाहिए।** परिचय-पत्र खो जाने पर ट्यूटर की संस्तुति पर 8 रुपये देने पर ही इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता है।

छात्र-सेवायें

1. **अभिस्थापन सेवा :** नवागत छात्राओं को महाविद्यालय के लक्ष्य एवं परम्पराओं का बोध कराने तथा यहाँ आयोजित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों से परिचय के उद्देश्य से सत्र के प्रारम्भ में महाविद्यालय के लिखित, अलिखित सभी प्रकार के नियमों से अवगत कराया जाता है।
2. **छात्र-कल्याण समिति :** प्रतिभासम्पन्न एवं आवश्यकताग्रस्त छात्राओं की प्रत्येक प्रकार से आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से गठित यह समिति छात्राओं के आवेदन-पत्रों पर पूर्ण विचार करके ही अपनी संस्तुति देती है। किन्तु महाविद्यालय में आयोजित आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने, अनुत्तीर्ण होने अथवा उपस्थिति अनियमित होने पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।
3. **शिक्षकीय प्रवर्ग प्रणाली :** छात्राओं के व्यक्तिगत निर्देशनार्थ प्रति 100 छात्राओं का दायित्व प्राध्यापिका ट्यूटर पर रहता है जो अपनी रक्ष्य छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति हेतु संस्तुति देती है तथा महाविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु परामर्श देती है।
4. **राष्ट्रीय सेवा योजना :** महाविद्यालय में एन.एस.एस. की तीन इकाइयाँ हैं। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय प्रांगण विकास, ग्रामोत्थान, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण व स्वास्थ्य-कल्याण आदि परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक सदस्यता के लिये सत्र में 120 घण्टे कार्य करना अनिवार्य है। सत्र में दो शिविरों का आयोजन किया जाता है।
5. **खेलकूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण :** खेलकूद में अभिरुचि रखने वाली छात्राओं के लिये फुटबाल, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉलीवाल, बैडमिंटन, खो-खो व टेबिल टेनिस आदि खेलों तथा विभिन्न एथलेटिक्स में प्रशिक्षण की सुविधा है।

6. **छात्र-स्वशासन समिति :** छात्राओं की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं छात्र-सहभागिता के अवसर प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में छात्र स्वशासन समिति गठित है, जो चार शाखाओं में विभक्त है - शैक्षिक समिति, सांस्कृतिक समिति, अलंकरण समिति एवं स्वेच्छा सेवा समिति। प्रत्येक छात्रा को इन चार समितियों में से कम से कम दो की सदस्यता लेनी होती है।
7. **जनसंख्या शिक्षा क्लब :** जनसंख्या विस्फोटजन्य समस्याओं के प्रति जागरुकता लाने के दृष्टि से महाविद्यालय में जनसंख्या शिक्षा क्लब संचालित है।
8. **पर्यावरण शिक्षा क्लब :** पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये पर्यावरण क्लब है।
9. **कैरियर कॉर्नर :** इससे छात्राओं को व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी व निर्देशन दिया जाता है।
10. **एन.सी.सी. :** महाविद्यालय में एन.सी.सी. की व्यवस्था है।
11. **रोबर्स रेन्जर्स योजना :** महाविद्यालय की प्रत्येक दो यूनिट में 25-25 सदस्य रहेंगे।
12. **शैक्षिक योजना :** यह एक शैक्षिक सेवा योजना है।
13. **कैण्टीन :** जलपान की सुविधा हेतु महाविद्यालय में कैण्टीन की व्यवस्था है।
14. **साइकिल स्टैण्ड :** साइकिल द्वारा आने वाली छात्राओं के लिये निर्धारित शुल्क 50 रुपये प्रवेश के समय जमा करने पर ताला लगाकर अपनी साइकिल रखने की सुविधा है। बिना ताला लगी साइकिल का दायित्व कॉलेज का नहीं होगा।
15. **छात्रावास :** महाविद्यालय परिसर में ही निर्मित छात्रावास में 60 छात्राओं के आवास की व्यवस्था है। केवल वही छात्रायें छात्रावास में रह सकती हैं जो विधिवत् कॉलेज छात्रा हैं। छात्रावास में प्रवेश योग्यता के आधार पर होते हैं। **छात्रावास नियमावली पर लिखित सहमति देना व छात्रावास प्रवेश आवेदन-पत्र भरकर देना अनिवार्य है।**

पुस्तकालय

महाविद्यालय के सुसमृद्ध पुस्तकालय में स्वाध्याय हेतु उच्चकोटि की सामग्री का समुचित संकलन एवं वर्गीकरण है। पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में कई अनुभाग हैं तथा पृथक् से वाचनालय है। शोधकार्य हेतु शोध-कक्ष की व्यवस्था है।

सदस्यता परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक छात्रा को पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा नामांकन प्रपत्र दिया जाता है, जिसे भरकर छात्रा ट्यूटर के द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पुस्तकालय में जमा कर देती है, तब उसे पाठक पत्रक (Reading Card) दिये जाते है। उन्हीं के आधार पर पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं।

पुस्तकालय के नियम

1. छात्राओं से अपेक्षित है कि पुस्तकालय से पुस्तकों की मांग कार्ड (कैटलॉग) का प्रयोग कर वांछित कॉल नम्बर आदि चिट पर लिखकर करें।
2. छात्रा को उसका पाठक-पत्रक लेकर एक सप्ताह के लिए पुस्तक दे दी जायेगी तथा पुस्तक लौटाने पर पत्रक पुनः छात्रा को दे दिया जायेगा।
3. पाठक-पत्रक खो जाने की सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को तुरन्त देनी चाहिए। पत्रक पुनः बनवाने के निमित्त छात्रा को 4 रुपये प्रति पत्रक देना होगा।
4. पुस्तक लेने से पूर्व छात्रा को पुस्तक के पृष्ठों का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर लेना चाहिये और उनमें कुछ कमी होने पर पुस्तकालयाध्यक्ष को उसी समय सूचित कर देना चाहिये अन्यथा बाद में पुस्तक-ग्रहीता को ही इस क्षति के लिये उत्तरदायी माना जायेगा।
5. निश्चित-समय के आगे पुस्तक रखने पर छात्रा से 12 रुपये प्रति पुस्तक प्रतिदिन दण्ड लिया जायेगा।
6. पुस्तक खो जाने पर छात्रा को पुस्तक का वर्तमान मूल्य देना होगा।

सन्दर्भ पुस्तकें : महाविद्यालय-पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर सूचना देने वाली सन्दर्भ पुस्तकें हैं, यथा शब्दकोष, विश्वकोष, वार्षिक पुस्तक, जीवनी, भू-चित्रावली तथा जर्नल्स आदि। इन्हें पुस्तकालय में बैठकर पढ़ना है, ये घर के लिये नहीं दी जातीं। पुस्तकालय की पुस्तक अथवा पत्रिका को नष्ट करना एक निन्दनीय अपराध है इसके लिये छात्रा को अर्थदण्ड दिया जा सकता है। गम्भीर स्थिति में छात्रा की पुस्तकालय सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है।

छात्रावास के नियम

1. छात्रावास में निवास हेतु छात्रा को महाविद्यालय से प्राप्त प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित सूचनायें भरकर देनी होंगी :
   (अ) पिछली संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र।
   (ब) स्थानीय अभिभावक का नाम, पता तथा छात्रा से सम्बन्ध एवं अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र।
2. छात्रायें निर्धारित समय पर ही अपने स्थानीय अभिभावक से मिल सकती हैं :

शीतकाल में :

(अ) बुधवार को सायं 3-5 बजे तक।
(ब) रविवार को प्रातः 11-02 बजे तक।

ग्रीष्मकाल में :

(अ) बुधवार को सायं 4-6 बजे तक

(ब) रविवार को प्रात: 10-01 बजे तक

3. स्थानीय अभिभावक के अतिरिक्त यदि कोई आगन्तुक छात्रा से मिलना चाहता है तो उसे छात्रा के पिता / अभिभावक का अधिकार-पत्र लाना अनिवार्य होगा।
4. छात्रा अपने स्थानीय अभिभावक के पास अथवा अन्य किसी कार्य से वार्डन / प्राचार्या की अनुमति के बिना नहीं जा सकती है।
5. बिजली के उपकरण जैसे - बिजली की प्रेस, हीटर, टोस्टर आदि का प्रयोग करना वर्जित है।
6. अभिभावक की लिखित सूचना तथा आवेदन-पत्र पर प्राचार्या / वार्डन की स्वीकृति के बिना छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
7. अपने कमरे के समस्त सामान की छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगी।
8. छात्रावास में कैमरा रखना वर्जित है।
9. छात्रावास का शुल्क विवरण :

क्र.सं.	**शुल्क का विवरण**	**वार्षिक**
1.	कमरे का किराया	9000.00
2.	बिजली	5000.00
3.	कटिन्जेन्सी	250.00
4.	खाना	17,000.00
	कुल योग	**31,250.00**

10. छात्रावास में रहकर नियमित समय से कक्षाओं में जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर, तीन बार गलती करने पर छात्रा को छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
11. छात्रावास में रहने वाली छात्रायें छात्रावास कैम्पस के गेट से ही निश्चित समय पर बाहर जा सकती हैं।
12. शैक्षिक सत्र समाप्ति पर छात्रावास खाली करना अनिवार्य है। नये सत्र में छात्रावास में पुन: प्रवेश लेना होगा।
13. छात्रावास खाली करते समय छात्रायें अपने कमरे की अलमारियों की चाबियाँ वार्ड/प्राचार्या को जमा करें। ऐसा न करने पर छात्रायें अंक पत्र प्राप्त नहीं कर सकेंगी।
14. छात्रावास में रहकर कोचिंग कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं होगी।

प्राध्यापिका – सूची

प्राचार्या–डॉ. नीता गुप्ता (एम.एस.सी. गृहविज्ञान, पीएच.डी.)

शिक्षा संकाय

1. डॉ. लता चंदोला, एम.ए., एम.एड., एम.फिल., पीएच.डी.
2. डॉ. सुनीता चौहान, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
3. सुश्री. राजवाला, एम.ए., एम.एड.

कला संकाय

1. संस्कृत

1. डॉ. श्रीमती रेखा सिंह, एम., पीएच.डी.

2. हिन्दी

1. डॉ. अनुराधा गर्ग, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. बिन्दु कन्नौजिया, एम.ए., पीएच.डी.
3. डॉ. गुंजन एम.ए., पीएच.डी.
4. डॉ. कंचन गुप्ता, एम.एड., पीएच.डी.
5. श्रीमती सीमा, एम.ए.

3. अंग्रेजी

1. डॉ. गुंजन चतुर्वेदी, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. पूनम रानी गुप्ता, एम.ए., पीएच.डी., डी.लिट्.
3. श्रीमती मीरा सिंह, एम.ए.
4. श्रीमती शालिनी, एम.ए.
5. सुश्री नेहा, एम.ए.
6.

4. उर्दू

1. डॉ. नसरीन बेगम, एम.ए., बी.एड., एम.फिल., पीएच.डी. (अलीग)

5. मनोविज्ञान

1. डॉ. नमिता राय, एम.ए.,बी.एड., पीएच.डी.
2. श्रीमती अमिता निगम, एम.ए.
3. श्रीमती राधा सिंह, एम.ए.

6. अर्थशास्त्र

1. डॉ. राधा रानी गुप्ता, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. पूनम शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
3. श्रीमती गरिमा, एम.ए.

7. समाज शास्त्र

1. श्रीमती एकता, एम.ए.

8. राजनीतिशास्त्र

1. रिक्त

9. इतिहास

1. रिक्त

10. शिक्षाशास्त्र

1. डॉ. शशि प्रभा वार्ष्णेय, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
2. डॉ. श्रीमती वंदना कौशिक, एम.ए., पीएच.डी.

11. गृह विज्ञान

1. डॉ. अनिता गुप्ता, एम.एससी, पीएच.डी.
2. डॉ. अल्का अग्रवाल, एम.एससी, पीएच.डी.

ललित कला संकाय

1. चित्र कला

1. डॉ. बिन्दु शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
2. कु. सविता प्रसाद, एम.ए., पीएच.डी.
3. श्रीमती विनीता गुप्ता, एम.ए.

2. संगीत गायन

1. डॉ. अमिता शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. अल्का सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
3. श्रीमती शैलजा मिश्रा, एम.ए.

3. संगीत वादन-सितार

1. श्रीमती कृष्णा बाला सिंह, एम.ए.

4. संगीत वादन-तबला

1. रिक्त

विज्ञान संकाय

1. जन्तु विज्ञान

1. रिक्त
2. रिक्त

2. वनस्पति विज्ञान

1. डॉ. आभा गुप्ता, एम.एससी., पीएच.डी.
2. रिक्त

3. रसायन विज्ञान

1. डॉ. नीलम वर्मा, एम.एससी., पीएच.डी.
2. रिक्त

4. शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता

1. श्रीमती मीनाक्षी पोपली, एम.पी.एड.
2. अनुपम सक्सैना, एम.पी.एड.

प्रयोगशाला सहायक

1. श्रीमती मीना सिंघल, एम.ए., बी.एड. (मनोविज्ञान विभाग)
2. डॉ. (श्रीमती) ममता अग्रवाल, एम.ए., बी.एड., पीएच.डी. (गृह विज्ञान विभाग)
3. श्रीमती प्रीति (चित्रकला विभाग)

पुस्तकालय – स्टाफ

1. कु. अरुणा सिन्हा, एम.ए., एम.लिब. साइंस (पुस्तकालयाध्यक्षा)
2. श्रीमती अर्चना गुप्ता एम.ए., बी.लिब. (कैटालॉगर)
3. श्रीमती राजकुमारी गौड़, बी.एससी., बी.लिब. (पुस्तकालय लिपिक)

कार्यालय – स्टाफ

1. श्री अरुण कुमार गुप्ता, एम.कॉम, बी.एड. (एकाउण्टेण्ट)
2. श्री सुरेश नारायन शुक्ला, बी.कॉम., एम.ए. (लिपिक)
3. श्री शिवकुमार गुप्ता, बी.कॉम. (लिपिक)
4.

अवकाश सूची – 2020–21

क्र.सं.	अवकाश का नाम
1.	कैलाश का मेला (स्था. अवकाश)
2.	स्वतन्त्रता दिवस
3.	ईद-उल-जुहा (बकरा ईद)
4.	रक्षा बन्धन
5.	कृष्ण जन्माष्टमी
6.	मोहर्रम
7.	गाँधी जयन्ती
8.	महाराजा अग्रसेन जयन्ती
9.	महानवमी
10.	विजया दशमी
11.	महार्षि बाल्मीकि जयन्ती
12.	दीपावली
13.	विश्वकर्मा पूजा
14.	गोवर्धन पूजा
15.	भैया दूज
16.	छट पूजा पर्व
17.	ईद-ए-मीलाद
18.	गुरू नानक जयन्ती
19.	गुरू तेगबहादुर शहीदी दिवस
20.	चौ. चरन सिंह जन्मदिवस
21.	क्रिसमस-डे
22.	नववर्ष
23.	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती
24.	मकर संक्रान्ति
25.	गणतन्त्र दिवस
26.	महाशिवरात्रि
27.	होलिका दहन
28.	रामनवमी
29.	आंबेडकर जयन्ती
30.	महावीर जयन्ती
31.	गुड फ्राई डे
32.	परशुराम जयन्ती
33.	बुद्ध पूर्णिमा
34.	जमाल-उल-विदा
35.	ईद-उल-फितर

नोट–अवकाश की अन्य तिथियाँ यथा समय घोषित की जायेगी।